न्यायालय सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अल्का शर्मा, आरजेएस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : 103/2023
(C.I.S. No. 197/2023)
CNR No.RJRS010029812023

राजस्थान राज्य।

.... अभियोगी

विरूद्ध

नरेन्द्रनाथ पुत्र गणपतनाथ चौहान, निवासी उलपुरा मंगरा, पुलिस थाना नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज.)

.... अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 374 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015

उपस्थित :–
1. श्री रामलाल जाट, विद्वान् लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।
2. श्री नटवर सिंह झाला, विद्वान् अधिवक्ता–अभियुक्त की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांक : 22.05.2026**

1. यह प्रकरण थानाधिकारी, पुलिस थाना नाथद्वारा, जिला राजसमंद द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 20/2023 में बाद अनुसंधान दिनांक 14.12.2023 को इस न्यायालय में अभियुक्त नरेन्द्रनाथ पुत्र गणपतनाथ चौहान के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 79 जे.जे. एक्ट व 374 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संस्थित हुआ, जो कि दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परिवादी भगवतसिंह, उ.नि., पुलिस थाना नाथद्वारा ने दिनांक 11.01.2023 को थानाधिकारी, पुलिस थाना नाथद्वारा के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 11.01.2023 को चाइल्ड लाइन परियोजना जिला समन्वयक दीपक सिंह द्वारा थाने पर रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि चाइल्ड लाइन राजसमंद को सी.सी.सी. नॉर्थ दिल्ली से सूचना मिली कि

गांव उलपुरा में 7 वर्षीय बालक को नरेन्द्रनाथ चौहान के घर पर अवैध तरीके से बालश्रम करवाया जा रहा है, जिस पर चाईल्ड लाइन टीम द्वारा कॉलर से बात की गई तो उलपुरा मगरा में नरेन्द्रनाथ चौहान द्वारा बच्चे को किसी अन्य स्थान से लेकर आने व घर का सारा काम करवाने की जानकारी मिली। परिवादी मय जाप्ता व चाईल्ड लाइन परियोजना के मेम्बर्स दीपक सिंह व सुश्री रेखा यादव समय 2.47 पी.एम. पर थाने से रवाना हो उलपुरा मगरा नरेन्द्रनाथ के घर पर पहुंचे, जहां पर एक नाबालिग बच्चा घरेलू काम करता हुआ मिला। बच्चे का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम देवा पिता नारायण भील, उम्र 08 वर्ष होना तथा काम करने के संबंध में पूछने पर सुबह से घर के मवेशियों का गोबर डालना, झाडू–पोछा करना, गायों को चराना तथा मजदूरी के पैसे उसे नहीं देकर उसके पिताजी को देना बताया, जिस पर जरिये फर्द नियमानुसार बच्चे को दस्तयाब किया गया मौके की कार्यवाही की गई..........इत्यादि। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना नाथद्वारा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 20/2023, अपराध अंतर्गत धारा 79 किशोर न्याय अधिनियम 2015 व धारा 374 भा.दं.सं. में मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

अनुसंधान के दौरान गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये। डिटेनशुदा बालक को बाल सम्प्रेक्षण गृह में दाखिल कराया गया। घटना स्थल निरीक्षण कर नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। बालक के उम्र संबंधी दस्तावेज प्राप्त किये गये। सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध 79 किशोर न्याय अधिनियम 2015 व धारा 374 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर इस न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. इस न्यायालय द्वारा बहस आरोप सुनने के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 79 किशोर न्याय अधिनियम 2015 व धारा 374 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन व समझकर अभियुक्त ने आरोपित अपराध को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को साबित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 1 भगवत सिंह, पी.डब्ल्यू. 2 रेखा यादव, पी.डब्ल्यू. 3 दीपक सिंह, पी.डब्ल्यू. 4 देवराज उर्फ देवा, पी.डब्ल्यू. 5 नरेन्द्र कुमार वसीटा, पी.डब्ल्यू. 6 विनोद कुमार गर्ग व पी.डब्ल्यू. 7 सोहनसिंह को परीक्षित करवाया गया।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया है :–

क्र.सं.	**प्रदर्श**	**दस्तावेज**
1.	प्रदर्श पी. 1	फर्द दस्तयाबी नाबालिग देवा
2.	प्रदर्श पी. 2	टाइपशुदा रिपोर्ट
3.	प्रदर्श पी. 3	चाक एफ.आइ.आर.
4.	प्रदर्श पी. 4	नाबालिग देवा को बाल सम्प्रेषण गृह में जमा कर रसीद दिलाने बाबत तहरीर
5.	प्रदर्श पी. 5	कार्यालय अधीक्षक सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, राजसमंद में नाबालिग देवा की प्राप्ति रसीद
6.	प्रदर्श पी. 6	घटनास्थल का नक्शा–मौका
7.	प्रदर्श पी. 7	बालक को रेस्क्यू करवाने के संबंध में तहरीर
8.	प्रदर्श पी. 8	नाबालिग बालक का प्रमाण पत्र
9.	प्रदर्श पी. 9	नाबालिग बालक देवा का फोटो
10.	प्रदर्श पी. 10	नाबालिग बालक देवा का उम्र संबंधी प्रमाण पत्र

5. अभियोजन साक्ष्य से प्रकट आपराधिक दायित्व के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्त का धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत परीक्षण किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होने तथा स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाये जाने का अभिवाक् किया। प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

6. इस प्रकरण के निर्णय हेतु हमारे समक्ष मुख्य रूप से अवधार्य प्रश्न यह है कि :–

{1} क्या अभियुक्त ने दिनांक 11.01.2023 को समय 2.47 पी.एम. पर जिला राजसमंद के आरक्षी केन्द्र नाथद्वारा के उलपुरा मगरा क्षेत्र पर स्थित अपने घर पर मालिक रहते हुए नाबालिग बालक देवा, उम्र 08 वर्ष को तत्समय कानून प्रभावी होते हुए बाल श्रमिक के रूप में नियुक्त करते हुए स्वयं के नियोजन के प्रयोजनार्थ उसका इस्तेमाल किया ?

{2} क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान नाबालिग बालक देवा को उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए विधिविरुद्ध तौर पर विवश किया ?

{3} यदि हॉ, तो उचित दण्ड क्या होगा ?

7. अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप को साबित करने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसमें गवाह पी.ड.1 भगवतसिंह ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसके दिनांक 11.01.2023 को पुलिस थाना नाथद्वारा में उ.नि. के पद पर होते हुए दीपक सिंह द्वारा थाने पर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट अनुसार गांव उलपुरा में 07 वर्षीय बालक द्वारा नरेन्द्रनाथ चौहान के घर पर अवैध रूप से बाल श्रम कराया जा रहा है, जिस पर चाईल्ड लाईन टीम द्वारा कॉलर से बात की गई तो उलपुरा मंगरा में नरेन्द्रनाथ चौहान द्वारा बच्चे को किसी अन्य स्थान से लेकर आने व घर का सारा काम करवाने की जानकारी मिली। वह मय जाप्ता एवं चाईल्ड लाइन के मेम्बर्स सहित समय 02.47 पी.एम. पर थाने से रवाना होकर उलपुरा मंगरा में नरेन्द्रनाथ के घर पर पहुंचे, जहां पर एक नाबालिग बच्चा घरेलू काम करता हुआ मिला, जिससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम देवा, उम्र 08 वर्ष होना, मालिक का नाम नरेन्द्रनाथ होना तथा सुबह से घर के मवेशियों का गोबर डालना व पूरे घर में झाडू–पौंछा लगाना, गाय चराना तथा मजदूरी के पैसे उसके पिताजी को देना बताया। उक्त कारणों से नाबालिग बच्चे को नियमानुसार दस्तीयाब कर थाने पर पहुंच उसने रिपोर्ट पेश की। उसके द्वारा मौके पर बालक देवा को जरिये फर्द दस्तीयाब प्रदर्श पी 01 किया, उसने थाने पर आकर रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 दी, चॉक एफआइआर प्रदर्श पी 03 है, बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति में जमा कराया, जिसका पत्र प्रदर्श पी. 04 व बालक को जमा कराने की रसीद प्रदर्श पी 05 है। अग्रिम अनुसंधान सोहनसिंह एएसआई द्वारा किया गया था। अनुसंधान अधिकारी ने उसकी निशादेही से घटनास्थल का नक्शा–मौका प्रदर्श पी 06 बनाया। उक्त प्रदर्शों पर उसके हस्ताक्षर है।

8. गवाह पी.ड.2 रेखा यादव ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसके दिनांक 11.01.2023 को चाईल्ड लाईन मेम्बर राजसमंद के रूप में कार्यरत रहते हुए सूचना मिली कि गांव उलपुरा में 07 वर्षीय बालक को नरेन्द्रनाथ चौहान के घर पर बाल श्रम कराया जा रहा है, जिसके संबंध में उसके व दीपक सिंह द्वारा पुलिस थाना नाथद्वारा में रिपोर्ट दी जाने पर भगवतसिंह उ.नि. मय जाप्ता गांव उलपुरा मंगरा पर नरेन्द्रनाथ चौहान के घर गये, जहां पर एक बालक मिला, जिससे पूछने पर उसने अपना नाम देवा गमेती होना तथा गोबर उठाना, झाडू–पौछा करना, गाय–भैंस चराना इत्यादि काम करना बताया। मौके पर कार्यवाही कर थाने पर आकर उ.नि. भगवतसिंह द्वारा रिपोर्ट देने के पश्चात् उसके बयान पुलिस वालों ने लिये थे।

9. गवाह पी.ड. 03 दीपक सिंह ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसके दिनांक 11.01.2023 को चाईल्ड लाइन मेम्बर राजसमंद के रूप में कार्यरत रहते हुए उन्हें सूचना मिली कि गांव उलपुरा में 07 वर्षीय बालक द्वारा नरेन्द्रनाथ चौहान के घर पर बालश्रम कराया जा रहा है। जिस पर उसने व रेखा यादव ने पुलिस थाना नाथद्वारा में एक रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर भगवतसिंह उ.नि. मय जाप्ता के साथ वह व रेखा गांव उलपुरा मंगरा में नरेन्द्रनाथ चौहान के घर गये, जहां पर एक बालक मिला, जिसने पूछने पर अपना नाम देवा गमेती होना तथा गोबर उठाना, झाडू–पौछा करना, गाय–भैंस चराना इत्यादि काम करना बताया। मौके पर पुलिस द्वारा फर्द दस्तीयाब प्रदर्श पी. 01 मुर्तिब की गई। उ.नि. भगवतसिंह द्वारा रिपोर्ट देने के पश्चात् उसके बयान पुलिस वालों ने लिये थे। उसने पुलिस थाना नाथद्वारा में बालक के रेस्क्यू कराने के संबंध में थाने पर रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 दी, जिस पर ए से बी स्थान पर चाईल्ड लाइन की सील व उसके हस्ताक्षर है।

10. गवाह पी.ड. 04 देवराज उर्फ देवा ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया कि करीब दो–ढाई साल पहले उसकी भुआ के साथ वह किसी के घर पर घी देने के लिए गया था। जहां पर पुलिस वाले आ गए और उसे

थाने पर ले जाकर किशोरगृह में जमा कराया। फर्द दस्तीयाबी प्रदर्श पी. 01 है। उसका रा.प्रा.वि. बराटिया का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 08 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं तथा उसका फोटो प्रदर्श पी. 09 है। उसने कहीं पर मजदूरी नहीं की और वह कुछ नहीं जानता है। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर लोक अभियोजक की जिरह में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 9 के ए से बी भाग में वर्णित तथ्य लिखाये जाने से इन्कार किया।

11. गवाह पी.ड.05 नरेन्द्र कुमार वसीटा ने सशपथ बयान में कथन किया कि वह दिनांक 11.01.2023 को पुलिस थाना, नाथद्वारा में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन दीपक सिंह द्वारा थाने पर रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि चाईल्ड लाईन राजसमन्द को सीसीसी नोर्थ दिल्ली से सूचना मिली कि गांव उलपुरा में 07 वर्षीय बालक द्वारा नरेन्द्रनाथ चौहान के घर पर अवैध रूप से बाल श्रम कराया जा रहा है, जिस पर चाईल्ड लाईन टीम द्वारा कॉलर से बात की गई तो उलपुरा मंगरा में नरेन्द्रनाथ चौहान द्वारा बच्चे को किसी अन्य स्थान से लेकर आने व घर का सारा काम करवाने की जानकारी मिली, जिस पर वह मय जाप्ता एवं चाईल्ड लाइन के मेम्बर्स समय 02.47 पी.एम. पर थाने से रवाना होकर उलपुरा मंगरा में नरेन्द्रनाथ के घर पर पहुंचा, जहां पर एक नाबालिग बच्चा घरेलू काम करता हुआ मिला, जिससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम देवा, उम्र 08 वर्ष होना, मालिक का नाम नरेन्द्रनाथ होना तथा सुबह से घर के मवेशियों का गोबर डालना व पूरे घर में झाडू—पौंछा लगाना, गाय चराना तथा मजदूरी के पैसे उसके पिताजी को देना बताया। उक्त कारणों से नाबालिग बच्चे को नियमानुसार एस.आई. द्वारा दस्तीयाब कर थाने पर पहुंचकर भगवसिंह एसआई ने रिपोर्ट पेश की।

12. गवाह पी.ड.06 विनोद कुमार ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसके वर्ष 2008 से रा.प्रा.वि. बराटिया, पं.सं. सुवाणा, जिला भीलवाड़ा में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहते हुए उसके विद्यालय के एसआर रजिस्टर की क्रम संख्या 356 पर दर्ज बालक देवा भील के विवरण अनुसार

उसने बालक का जन्म दिनांक संबंधी प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 10 बनाया, जिसके अनुसार बालक देवा भील की जन्म दिनांक 13.06.2016 है। एसआर रजिस्टर की फोटोप्रति संलग्न है। रा.प्रा.वि. बरांटिया, पं.सं. सुवाणा, जिला भीलवाड़ा का कक्षा प्रथम का छात्र प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 08 है। उक्त दोनों प्रदर्शों पर उसके हस्ताक्षर है।

13. गवाह पी.ड. 07 सोहनसिंह ने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 11.01.2023 को पुलिस थाना नाथद्वारा में भगवतसिंह द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 पेश की गई, जिसकी चाक एफआइआर प्रदर्श पी 03 है। बालक देवा की फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी. 01 है। बालक को बाल कल्याण समिति को सुपुर्द करने की तहरीर प्रदर्श पी 04, बाल किशोर गृह में दाखिल करवाने की रसीद प्रदर्श पी 05 है। उसने प्रार्थी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा–मौका प्रदर्श पी 06 बनाया। चाइल्ड हैल्पलाइन द्वारा पुलिस थाना नाथद्वारा में दी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 है। बालक देवा भील का राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बरांटिया का विद्यार्थी प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 08 पर देवा भील की जन्म दिनांक 13.06.2016 अंकित है। बालक का फोटोग्राफ प्रदर्श पी 09 शामिल पत्रावली किया, उसने गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बराटिया, पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा के प्रधानाध्यापक द्वारा बालक देवा भील का विद्यालय रिकॉर्ड अनुसार जारी जन्म दिनांक संबंधी प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 10 है, जिसमें बालक देवा भील की जन्म दिनांक 13.06.2016 अंकित है। एस.आर. रजिस्टर की फोटोप्रति शामिल पत्रावली की। कुलिया अनुसंधान से उसने अभियुक्त नरेन्द्रनाथ के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 79 जे.जे. एक्ट व 374 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित मानकर चार्जशीट कता करने हेतु थानाधिकारी को पेश की, जिसके पश्चात् थानाधिकारी द्वारा चार्जशीट न्यायालय में पेश की।

14. बहस के दौरान विद्वान् लोक अभियोजक की ओर से तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में अभियुक्त नरेन्द्रनाथ के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित कराने हेतु 07 गवाहान के बयान कराये गये हैं और इनमें

परिवादी भगवतसिंह सहित दीपकसिंह, रेखा यादव व नरेन्द्र कुमार ने अपनी साक्ष्य से चाइल्ड लाइन की सूचना एवं रिपोर्ट पर अभियुक्त के घर पर दबिश देने पर बालक देवराज उर्फ देवा, उम्र 8 वर्ष को बालश्रम करते हुए पाया जाना एवं अभियुक्त ही उक्त मकान का मालिक होना साबित किया है। बालक के नाबालिग होने का तथ्य गवाह विनोद कुमार के बयानों से भी साबित है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी सोहनसिंह ने प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान करते हुए गवाहान के बयानों एवं दस्तावेजात के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जावे।

15. बचाव पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क रहा है कि इस प्रकरण में नाबालिग बालक देवराज उर्फ देवा, जो मुख्य साक्षी है, पक्षद्रोही घोषित हुआ है। अभियोजन पक्ष द्वारा कोई ठोस एवं विश्वसनीय स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकरण में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार से नाबालिग बालक से अपने घर में घरेलु काम, मजदूरी करवाई गई हो। इस प्रकरण में घटनास्थल के आसपास अन्य मौजूद स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया गया। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी सोहनसिंह ने जिरह में स्वीकार किया है कि यह सही है कि उसे किसी गवाह ने नहीं बताया कि जब वो मौके पर गये तब बालक देवा झाड़ू, पोंछा या गोबर डालते हुए देखा हो, साथ ही अनुसंधान अधिकारी का यह भी कथन है कि जब गवाह मौके पर गये तब बालक देवा मैन गेट के बाहर खड़ा हुआ मिला। इस प्रकरण में स्वयं अनुसंधान अधिकारी के कथनानुसार छापेमारी के दौरान भी बालक देवा मौके पर मेन गेट के बाहर खड़ा हुआ मिला था तथा कोई कार्य नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में बालक से मौके पर किसी प्रकार का बालश्रम करवाये जाने या उसका नियोजन किये जाने का तथ्य साबित नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा घटनास्थल वाले मकान के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्राप्त नहीं किये गये, जिससे कथित मकान अभियुक्त का

होने का तथ्य ही प्रमाणित नहीं हो रहा है। लिहाजा, अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

16. हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण का प्रारम्भ परिवादी भगवतसिंह उपनिरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 के आधार पर हुआ है, जिसमें परिवादी ने यह अंकित किया कि दिनांक 11.01.2023 को चाइल्ड लाइन परियोजना जिला समन्वयक दीपक सिंह द्वारा थाने पर रिपोर्ट पेश करने पर परिवादी मय जाब्ता उलपुरा मगरा नरेन्द्रनाथ के घर पर पहुंचे, जहां एक नाबालिग बच्चा घरेलू काम करता हुआ मिलने पर उसका नाम पता पूछा तो देवा पिता नारायण भील, उम्र 08 वर्ष होना तथा काम करने के संबंध में पूछने पर सुबह से घर के मवेशियों का गोबर डालना, झाड़ू–पौंछा करना, गायों को चराना तथा मजदूरी के पैसे उसे नहीं देकर उसके पिताजी को देना बताया, जिस पर जरिये फर्द नियमानुसार बच्चे को दस्तयाब किया गया व मौके की कार्यवाही की गई। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होकर अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित उक्त तथ्यों की सत्यता हेतु प्रकरण में सर्वप्रथम अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू. 1 भगवतसिंह, जिसके द्वारा सर्वप्रथम मौके पर बालक देवराज का कथित कार्य करना पाया है, के बयानों का अवलोकन करें तो यद्यपि इसने मुख्य बयानों में दिनांक 11.01.2023 को चाईल्ड लाइन परियोजना जिला समन्वयक दीपकसिंह की रिपोर्ट के आधार पर मय जाप्ता उलपुरा मंगरा में नरेन्द्रनाथ चौहान के घर पहुंचने पर बालक को घरेलु काम करता हुआ पाये जाने का कथन अवश्य किया है, परन्तु जिरह में गवाह ने कथन किया कि **''यह कहना सही है कि बालक मैन गेट के वहां पर खड़ा हुआ था''**। **''यह मुझे पता नहीं है कि बालक देवा के पिता नारायण भील नरेन्द्रनाथ के यहां पर सिजारी व घर का कामकाज करते हैं या नहीं''**। **''यह कहना सही है कि बालक को मौके पर मेन गेट के वहां से दस्तयाब करने के अलावा मैंने**

मौके पर अन्य कोई कार्यवाही नहीं की थी''। ''यह कहना सही है कि जिस वक्त हम मौके पर पहुंचे, उस वक्त हमने बालक देवा को झाडू व पौंछा लगाते हुए या गोबर डालते हुए नहीं देखा''। इस प्रकरण में स्वयं छापामार दल के मुखिया परिवादी भगवतसिंह ने ही यह स्वीकारोक्ति की है कि उसने मौके पर बालक को किसी प्रकार का कार्य करते हुए नहीं देखा था। गवाह ने जिरह में यह भी स्वीकार किया कि मकान नरेन्द्रनाथ के मालिकाना हक का होने के संबंध में उसने कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किये। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में आस पड़ोस के किसी मकान के निवासी या अन्य स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह ही नहीं बनाया। इस गवाह ने अपने मुख्य बयानों में ही ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया कि वक्त छापेमारी अभियुक्त नरेन्द्रनाथ या उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य मौके पर मौजूद हो। इसी प्रकार पुलिस दल के अन्य सदस्य पी.डब्ल्यू. 05 नरेन्द्र कुमार ने भी जिरह में स्पष्ट कथन किया है कि **हम जब मौके पर पहुंचे, तब लड़का मैन गेट पर खड़ा हुआ था। मैंने उसे कोई काम करते हुए, गोबर उठाते हुए या झाडू लगाते हुए नहीं देखा। गवाह ने यह स्वीकार किया कि मुझे उक्त बालक ने यह नहीं बताया कि मेरा यहां पर शारीरिक या मानसिक शोषण किया जा रहा है।**

प्रकरण के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यू. 3 दीपकसिंह, जो कि चाईल्ड लाइन सदस्य है, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 के आधार पर परिवादी द्वारा मौके पर कार्यवाही किया जाना बताया है तथा पी.डब्ल्यू. 2 रेखा यादव भी चाइल्ड लाइन मेम्बर है, उक्त दोनों गवाहों ने जिरह में कथन किया कि **''यह कहना सही है कि जब हम मौके पर मकान के बाहर पहुंचे तो पुलिस वालों ने मकान का गेट खुलवाया और फिर वह बालक बाहर आया था और कोई वहां पर नहीं था। यह कहना सही है कि हम सभी ने उस समय मौके पर बालक को गोबर उठाते, झाडू लगाते या पौंछा लगाते हुए नहीं देखा था। यह सही है कि वहां के किसी भी पड़ौसी ने हमें यह नहीं बताया कि बालक यहां पर काम करता हो। यह कहना**

सही है कि बालक देवा ने हमें यह नहीं बताया कि मेरा यहां पर शारीरिक व मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है।

हस्तगत प्रकरण में महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान के दौरान कथित बाल श्रमिक के माता–पिता या अन्य परिवारजन के बयान लिये जाकर प्रकरण में उन्हें गवाह के रूप में परीक्षित करवाया जाना भी उचित नहीं समझा, जो यह बयान देते कि वास्तव में अभियुक्त नरेन्द्रनाथ के द्वारा बालक से अपने घर पर बाल श्रम करवाया जा रहा हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा अत्यन्त लापरवाही का प्रदर्शन करते हुए अधूरा अनुसंधान किया जाना प्रकट होता है।

इस प्रकरण में नाबालिग बालक देवराज उर्फ देवा, जो मुख्य साक्षी है, पक्षद्रोही घोषित हुआ है और जिरह में यह स्वीकार किया कि **''मैंने किसी के यहां पर झाडू पौछा व गोबर उठाने का काम नहीं किया, न ही किसी के यहां गाय चराने का काम किया।''** इस प्रकरण में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार से नाबालिग बालक से अपने घर में घरेलु काम, मजदूरी करवाई गई हो। अभियोजन पक्ष द्वारा कोई ठोस एवं विश्वसनीय स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकरण में घटनास्थल के आसपास अन्य मौजूद स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया गया। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी सोहनसिंह ने जिरह में स्वीकार किया है कि यह सही है कि उसे किसी गवाह ने नहीं बताया कि जब वो मौके पर गये तब बालक देवा झाडू, पोंछा या गोबर डालते हुए देखा हो, साथ ही अनुसंधान अधिकारी का यह भी कथन है कि जब गवाह मौके पर गये तब बालक देवा मैन गेट के बाहर खड़ा हुआ मिला। इस प्रकरण में स्वयं अनुसंधान अधिकारी के कथनानुसार छापेमारी के दौरान भी बालक देवा मौके पर मेन गेट के बाहर खड़ा हुआ मिला था तथा कोई कार्य नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में बालक से मौके पर किसी प्रकार का बालश्रम करवाये जाने या उसका नियोजन किये जाने का तथ्य साबित नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में अनुसंधान

अधिकारी द्वारा घटनास्थल वाले मकान के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज भी प्राप्त नहीं किये गये, जिससे कथित मकान अभियुक्त का होने का तथ्य ही प्रमाणित नहीं हो रहा है। इन सभी कारणों से अभियोजन पक्ष अभियुक्त नरेन्द्रनाथ के द्वारा नाबालिग बालक देवा को अपने घर पर बाल श्रमिक के रूप में नियुक्त करते हुए उसे उसकी इच्छा के विरूद्ध श्रम करने के लिये विधि विरूद्ध तौर पर विवश किये जाने का तथ्य युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त नरेन्द्रनाथ अपराध अंतर्गत धारा 374 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के आरोपों से सन्देह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

17. अतः अभियुक्त नरेन्द्रनाथ पुत्र गणपतनाथ चौहान, निवासी उलपुरा मंगरा, पुलिस थाना नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 374 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के आरोप से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

18. निर्णय आज दिनाँक **22.05.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द